



ऑन लाईन नं. RCMS2019/00132

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 20/2019

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री धीरज कुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी, (नमूना विक्रेता एवं मालिक)  
फर्म-मै० अनमोल वैरायटी स्टोर, बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।  
निवासी :- वार्ड नम्बर 10, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/52 एवं 26 (2)(5)/58

निर्णय

दिनांक : 20.12.2019

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2018 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स अनमोल वैरायटी स्टोर, बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर श्री धीरज कुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी, निवासी वार्ड नम्बर 10, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त वैरायटी स्टोर का निरीक्षण किया तो वैरायटी स्टोर में लगी मशीन से पेय पदार्थ **Sweetened Carbonated Water** तुरन्त तैयार कर खुला ही (Loose) आमजन को विक्रय हेतु रखा था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या के-926 के नमूनीकरण के लिए मशीन की टंकी में तैयारशुदा घोल 1 लीटर की चार प्लास्टिक बोतलों में **Sweetened Carbonated Water (Loose)** खरीदा। जिसकी कीमत 150/- रुपये (अखरे एक सौ पचास रुपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन एवं श्री सूरज कुमार के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

*amr*  
20.12.19

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर-5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **Sweetened Carbonated Water (Loose)** विक्रेता श्री धीरज कुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Sweetened Carbonated Water (Loose)** को बराबर-बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलों में भरकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक के-926 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक के-926 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:- एलएस/1590/ एक्ट/2018/282 दिनांक 26.10.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-926 **Sweetened Carbonated Water (Loose)** अमानक स्तर **Misbranded** पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री धीरज कुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी फर्म-मै0 अनमोल वैरायटी स्टोर बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Sweetened Carbonated Water (Loose)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26(2)(2)/52 एवं 26(2)(2)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2019 को प्रस्तुत किया गया।

*any*  
20.12.19

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।


अभियुक्त श्री धीरजकुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी, (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स अनमोल वैरायटी स्टोर बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Sweetened Carbonated Water (Loose)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Misbranded** पाया गया है। प्रार्थी ने **Sweetened Carbonated Water (Loose)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावै। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मिक्स दूध का सैम्पल के-926 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- एलएस/1590/ एक्ट/2018/282 दिनांक 26.10.2018 द्वारा **Misbranded** होना पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/52 एवं 26(2)(2)/58 का उल्लंघन है तथा जुर्माना योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में वर्णित है। साथ ही उपलब्ध कागजात के आधार पर नमूना विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आते है। अतः उक्त विक्रेता पर जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।


अभियुक्त श्री धीरजकुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी, (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स अनमोल वैरायटी स्टोर बस स्टेण्ड, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Sweetened Carbonated Water (Loose)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Misbranded** पाया गया है। प्रार्थी ने **Sweetened Carbonated Water (Loose)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावै। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 26.10.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Sweetened Carbonated Water (Loose)** विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त

  
20.12.19

ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्री धीरजकुमार पुत्र श्री मंगलदास गुगलानी, (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर Food Safety and Standards Act 2006 because the addition of Artificial Sweetener Saccharin not declared in the list of ingredients. के तहत Sweetened Carbonated Water (Loose) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/52 एवं 26(2)(2)/58 के तहत 10000/-रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा चालान नम्बर 36196140 दिनांक 20.12.2019 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त Sweetened Carbonated Water (Loose) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डा. गुंजन सोनी)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
श्रीगंगानगर